**भारत सरकार/ GOVT OF INDIA**
**सीमाशुल्क आयुक्त (जनरल) का कार्यालय,**
**OFFICE OF THE COMMISSIONER OF CUSTOMS**
**सीमाशुल्क मुंबई अंचल II , जवाहरलाल नेहरू सीमाशुल्क भवन, राजभाषा अनुभाग,**
**MUMBAI CUSTOMS, ZONE II, JAWAHARLAL NEHRU CUSTOM HOUSE,**
**न्हावा शेवा, उरण, जिला रायगड , महाराष्ट्र/Nhava Sheva, Uran, Raigad, Maharashtra – 400707**

## सीमाशुल्क मुंबई, अंचल- II, एन एस -जनरल आयुक्तालय की
## -: जनवरी-मार्च 2026 तिमाही की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक का कार्यवृत्त :-

सीमाशुल्क आयुक्तालय (एन एस -जनरल), न्हावा शेवा की वर्ष 2026 की प्रथम तिमाही की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की (OLIC) बैठक दिनांक 17.02.2026 को प्रातःकाल 10.30 बजे आयोजित की गई । बैठक में एन एस - जनरल कार्यालय (मुख्य आयुक्त कार्यालय सहित) के निम्नलिखित सदस्य बैठक में उपस्थित थे ।

| क्रम संख्या/ Sl No. | अधिकारियों के नाम/ Name of the officers सर्वश्री/श्रीमती/सुश्री | पदनाम / Designation |
|---|---|---|
| 1. | बी सुमिदा देवी | आयुक्त,सीमाशुल्क (जनरल) एवं अध्यक्ष |
| 2. | अश्विनी पी आडिवरेकर | अपर आयुक्त, सीमाशुल्क |
| 3. | पंकज कुमार द्विवेदी | अपर आयुक्त, सीमाशुल्क (सीसीओ) |
| 4. | मनोज कुमार | अपर आयुक्त, सीमाशुल्क |
| 5. | सुनील कुमार वी ए | सहायक आयुक्त, सीमाशुल्क |
| 6. | रमाकांत दुबे | अधीक्षक (निवारक), सतर्कता अनुभाग |
| 7. | अंशुमन चंद्रा | अधीक्षक (निवारक), कार्मिक एवं स्थापना |
| 8. | अमित कुमार श्रीवास्तव | अधीक्षक (निवारक), मुख्य आयुक्त कार्यालय |
| 9. | रॉबिन्स कुमार सिंह, | अधीक्षक (निवारक), निपटान कक्ष |
| 10. | आशीष फोगाट | मूल्यांकक (एएसओ) |
| 11. | धर्मेन्द्र कुमार राजपूत | अधीक्षक(निवारक), पीएसओ |
| 12. | निर्मल कुमार | अधीक्षक(निवारक), बी जी कक्ष |
| 13. | कुमार श्वेतांक | अधीक्षक(निवारक), ईजीएम समन्वय कक्ष |
| 14. | मेही प्रसाद | अधीक्षक(निवारक), सीएचएस |
| 15. | धर्मेन्द्र कुमार राजपूत | अधीक्षक(निवारक), पीएसओ |
| 16. | आशीष चौपड़ा | निरीक्षक (परीक्षक) |
| 17. | रूपेश एस. सक्सेना | वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी एवं सदस्य सचिव |

सदस्य सचिव ने उपस्थित अध्यक्ष महोदया एवं समिति के सदस्यों का स्वागत किया एवं समिति अध्यक्ष से अनुमति के उपरांत कार्रवाई आरंभ की ।

**दिनांक 6.11.2025 बैठक में लिए गए विभिन्न निर्णयों की अनुपालन स्थिति**

1. सीमाशुल्क मुंबई अंचल II में कार्यरत सभी 07 आयुक्तालयों की अलग-अलग राजभाषा कार्यान्वयन समितियों (Official language implementation Committee)का गठन कर लिया गया है और उस आयुक्तालय से संबंधित अपर / संयुक्त आयुक्त स्तर के अधिकारियों को राजभाषा अधिकारी भी नामित कर दिया गया है । सभी आयुक्तालयों की अलग -अलग राजभाषा बैठकें आयोजित की जा रही हैं ।
**(कार्रवाई पूर्ण/Action completed)**

**2.** राजभाषा के प्रचार प्रसार हेतु राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित हिन्दी भाषा की श्रेष्ठ पुस्तकों की खरीद कर ली गई है और उसकी सूचना अधिकारियों को भी दे दी गई है ताकि वे इसका लाभ उठाएँ ।

**(कार्रवाई पूर्ण /Action completed)**

**3.** अध्यक्ष महोदया के निर्देशानुसार जनरल आयुक्तालय के सभी अनुभागों से नियमित प्रेषित की जाने वाली मासिक/तिमाही रिपोर्ट के प्रारूप एकत्र किए जा रहे हैं और उनका द्विभाषीकरण किया जा रहा है। इस संबंध में दिनांक 9.02.2026 से 20 दिवसीय आंतरिक राजभाषा निरीक्षण कार्यक्रम जारी किया गया है और प्राप्त सामग्री का द्विभाषीकरण किया जा रहा है ।

**4.** हिन्दी अनुभाग में 'कर सहायकों' की नियमित रुप से तैनाती के बिन्दु पर अध्यक्ष महोदया ने एन एस -जनरल आयुक्तालय में कर सहायकों (TA) एव कार्यकारी सहायकों (EA) की वर्तमान कुल स्थिति का अवलोकन किया । अध्यक्ष महोदया को सूचित किया गया कि यद्यपि स्थाई आदेश संख्या 20/2018 दिनांक 14.06.2018 के अनुसार हिन्दी अनुभाग में 'कर सहायक'/ कार्यकारी सहायक की तैनाती का प्रावधान नहीं है फिर भी पूर्व में कर सहायकों की तैनाती हुई थी । अध्यक्ष महोदया ने इस विषय पर पुनः विचार करने का आश्वासन दिया ।

**5.** मुख्य आयुक्त कार्यालय द्वारा बेहतर संपर्क, राजभाषा प्रावधानों के पूर्ण अनुपालन हेतु एक 'राजभाषा संपर्क अधिकारी' की तैनाती कर दी गई है ।

**(कार्रवाई पूर्ण/Action completed)**

**<u>दिनांक 17.02.2026 को संपन्न OLIC बैठक में लिए गए निर्णय :-</u>**

6 **तिमाही रिपोर्ट का तुलनात्मक अध्ययन.** (जनरल आयुक्तालय एवं मुख्य आयुक्त कार्यालय) पत्राचार के प्रतिशत में अपेक्षित सुधार लाने के लिए बैठक में उपस्थित सभी एडमिन अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे सभी अपने रूटीन पत्रों, अग्रेषण पत्रों का द्विभाषीकरण करवाएं । सचिव ने बैठक में आग्रह किया कि सभी 'कर सहायक/रिपोर्ट तैयार करने वाले अधिकारी' उचित रूप से रेपोर्टिंग करें । अध्यक्ष महोदया' को यह भी सूचित किया गया कि भविष्य में 'हिन्दी टिप्पणी' के प्रतिशत को सुधारने के लिए सभी समूह 'क' अधिकारियों के द्वारा ई ऑफिस में की जा रही टिप्पणियों ब्योरा भी मैनुएली प्राप्त किया जाएगा ।

**(कार्रवाई - हिन्दी अनुभाग, सभी अनुभाग)**

7. **आंकड़ों की उपलब्धता : मानक एवं स्थाई व्यवस्था** : सदस्य सचिव ने अध्यक्ष महोदया के समक्ष प्रस्ताव रखा कि निरीक्षण प्रश्नावली एवं तिमाही रिपोर्ट तैयार करने के लिए अनुभागों से नीतिगत आँकड़े उपलब्ध करने होते हैं । इन आंकड़ों को उपलब्ध कराने हेतु एक मानक / स्थाई व्यवस्था का निर्माण करना चाहिए और इसे राजभाषा जांच बिंदुओं की तरह स्थापित किया जा सकता है । अध्यक्ष महोदया ने इस पर सहमति व्यक्त व्यक्त करते हुए हिन्दी अनुभाग को इस बिन्दु पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए ।

(कार्रवाई - हिन्दी अनुभाग)

**8. सहायक निदेशक-राजभाषा पद के रिक्त पद को भरने के संबंध में :** समिति को सूचित किया गया कि कुल कार्मिकों की स्वीकृत संख्या (Sanctioned strength) के आधार पर 'एन एस -जनरल आयुक्तालय' एवं 'मुख्य आयुक्त कार्यालय' विशाल विन्यास वाला कार्यालय है और राजभाषा पदों से संबंधित निर्धारित मापदंडों के आधार पर एवं राजभाषा नीतियों के उचित अनुपालन एवं संवेदनशीलता बढ़ाने के लिए इस कार्यालय में सहायक निदेशक -राजभाषा के पद को भरा जाना अति आवश्यक है । सचिव ने पहले के प्रयासों की तरह इस बार भी माननीय मुख्य आयुक्त महोदय के द्वारा जीपीएम नई दिल्ली को एक अर्धसरकारी पत्र प्रेषित किए जाने का अनुरोध किया। अध्यक्ष महोदया ने इस विषय पर मुख्य आयुक्त कार्यालय के साथ मिलकर कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

**(कार्रवाई - हिन्दी अनुभाग एवं मुख्य आयुक्त कार्यालय)**

**9- नवी मुंबई, नाराकास (TOLIC) के महत्वपूर्ण निर्णयों की सूचना :** सदस्य सचिव ने दिनांक 19.11.2025 को सम्पन्न नाराकास (TOLIC) बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों की सूचना बैठक को दी । यह बिन्दु थे : कार्यालय में डेस्क तो डेस्क जाकर अपने कार्य मूल रूप से हिन्दी में करना, कार्यालय अध्यक्षों की अनिवार्य रूप से नराकास बैठकों में उपस्थिति, राजभाषा नियम 1976 के नियम संख्या 12 के अनुसार कार्यालय अध्यक्ष की भूमिका, नियमित रूप से राजभाषा प्रशिक्षण एवं राजभाषा कार्यशालाओं में सरकारी कामकाज में हिन्दी का अभ्यास करवाना आदि ।

बैठक को सूचित किया गया कि हिन्दी अनुभाग इन सभी गतिविधियों पर कार्रवाई कर रहा है ।

**(कार्रवाई - हिन्दी अनुभाग)**

**10- जेएनसीएच वेबसाईट में 'राजभाषा गतिविधियों' का विकल्प :** बैठक में राजभाषा गतिविधियों के उचित 'प्रचार प्रसार' के लिए एवं अधिकारियों में 'राजभाषा जागरूकता (Official language awareness) एवं संवेदनशीलता (Sensitivity towards O.L. provisions)' बढ़ाने, महत्वपूर्ण राजभाषा सूचनाएं प्रदान करने के उद्देश्य से यह प्रस्ताव रखा गया कि जीएनसीएच वेबसाईट के मुख्य वेबपेज में 'राजभाषा गतिविधियां' विकल्प रखा जाए । यह भी सूचित किया गया कि वर्तमान में राजभाषा गतिविधि विकल्प कार्य नहीं कर रहा है और यह वेबसाईट के मुख्य पृष्ठ में भी नहीं है । अध्यक्ष महोदया ने इस विकल्प में प्रदर्शित की जाने वाली सामग्रियों की जानकारी मांगी । तत्पश्चात उन्होंने इस संबंध में अपनी सहमति देते हुए इसकी सूचना ईडीआई अनुभाग को देने ने निर्देश दिए ।

**(कार्रवाई - ईडीआई सॉफ्टवेयर)**

**11- अन्य सुझाव :** अध्यक्ष महोदया ने बैठक के अंत में अन्य कोई सुझाव मांगे । सदस्य सचिव ने अध्यक्ष महोदया से अनुरोध किया कि 'राजभाषा संवर्ग' में चूंकि राजभाषा के प्रचार प्रसार का कार्य होता है और हिन्दी अनुभाग सभी अन्य अनुभागों से लगातार संपर्क में रहता है, और यहाँ अन्य अनुभागों में नियमित रोटेशन होते हैं, अतः सभी अनुभागों में पहले की भांति एक स्थाई नंबर के साथ 'इन्टरकॉम' की सुविधा पुनः प्रारंभ की जानी चाहिये। अध्यक्ष महोदया ने इस पर चर्चा की एवं सहमति व्यक्त करते हुए संबंधित अधिकारी को यह कार्य शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए ।

**(कार्रवाई - सी एच एस अनुभाग )**

बैठक में अन्य कोई विषय शेष न होने के कारण अध्यक्ष महोदया तथा सदस्यों के प्रति धन्यवाद प्रकट करते हुए बैठक प्रातः 11.20 बजे सम्पन्न हुई ।

**(अश्विनी पी आडिवरेकर)**
**अपर आयुक्त, सीमाशुल्क**

Digitally signed by
Ashwini Purushottam Adivarekar
Date: 26-02-2026 17:40:55